International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9, Issue 3, March - 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

दलित महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति एवं आर्थिक विषमता : बिहार के संदर्भ में ।

संजय कुमार (यू.जे.सी.नेट)
शोधार्थी राजनीति विज्ञान विभाग
भू. ना. मं. वि. वि. मधेपुरा, बिहार

सारांश :–

भारतीय सामाजिक संरचना में निम्न पायदान पर अवस्थित अनुसूचित जाति की महिलाओं की स्थिति दयनीय ही है । चाहे आर्थिक संदर्भ में देखें या सामाजिक संदर्भ में । आज की स्वतंत्रता के सात दशकों के बाद भी स्थिति में कोई अमूल–चूल परिवर्तन नहीं हुआ है । इसका एक प्रमुख कारण 'शिक्षा का अभाव' है । ह्यूमन राईट्स वॉच (एच.आर.डब्लू.) के एक रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि अनुसूचित जाति की महिलाएँ तिहरी मार झेल रही है । यानि 'वर्ग', 'जाति' और 'लिंग' स्तर पर ।

एच.आर.डब्लू. ने बिहार सहित सम्पूर्ण भारत में अनुसूचित जातियों की दुःस्थिति का वर्णन किया है, जिसमें अनुसूचित जाति की महिलाओं की हृदय विदारक स्थिति का भी वर्णन है । कहा या है कि अनुसूचित जाति की महिलाएँ जो न केवल उच्च वर्ग की प्रताड़ना झेलती है, बल्कि अपने समाज द्वारा भी प्रताड़ित होती है, जिसके पीछे मूल कारण शिक्षा का अभाव और अज्ञानता है । जो समस्त प्रकार के शोषण झेलने को बाध्य करता है ।

प्रस्तावना :–

जहाँ तक शिक्षा की बात है तो इसके लिए हमें भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास के पन्नों को पलटने की जरूरत है । प्राचीन भारत में स्त्रियों की स्थिति में संबंधित दो विचार व सम्प्रदाय मिलते हैं । एक के अनुसार स्त्रियाँ 'पुरुषों के बराबर'थी, उन्हें समाज में पर्याप्त सम्मान प्राप्त था । स्त्री को ही परिवार के सुख का आधार माना जाता था । वहीं दूसरे वर्ग के अनुसार स्त्री को समस्त पाप का भागीदार मानता था । 'स्त्री से अधिक पाप की अन्य कोई वस्तु नहीं है'।

लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि ऋग्वैदिक काल को छोड़कर महिलाओं की स्थिति सम्पूर्ण प्राचीन भारत में दोयम दर्जे की हो र्ग । उत्तर वैदिककाल में ही उन्हें शिक्षा से वंचित कर दिया गया । यहीं से समस्त अधिकार विहीन होकर केवल समय–समय पर समाज द्वारा थोपे गये कुरीतियों को लेकर आगे बढ़ती जा रही थी । ऐसी स्थिति समाज के सभी वर्गों की महिलाओं की थी तो सोचा जा सकता है कि शूद्र वर्ण की महिलाओं की स्थिति कितनी भयावह होगी जिसे अस्पृश्यता जैसे अमानवीय व्यवहार और द्विज की सेवा नियती बन चुकी थी । यही स्थिति सम्पूर्ण मध्यकाल और आधुनिक काल में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना तक बनी रही । समस्त दौर में शिक्षा विशेषाधिकार युक्त आरक्षित रहा । वहीं दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि दलितों और महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करना सामाजिक रूप से निषेध था। इस दौर में भी कुछ ही लोग अपने बच्चियों को पढ़ाते थे । ऐसे लोग समाज के अभिजात वर्ग के थे दलितों को शिक्षित करने की बात कौन सोचता जो कोई इनके पैरोकार की बात सोचता उन्हें उनके जीवन और जीविकोपार्जन से हाथ धोना पड़ता । समकालीन शैक्षणिक रिकॉर्ड और दस्तावेज देखने से ऐसा लगता है कि कुछ उदाहरणों को छोड़कर 1813 ई0 के पहले शायद ही कोई दलित शिक्षित हो सका था । यह ईस्ट इंडिया कम्पनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के शिक्षा प्रसार के निर्णय के बाद ही सम्भव हुआ । यानि कह सकते हैं कि 1813 तक दलित वर्ग का समाज में जीता जागता इन्सान स्वीकार करने में आपत्ति थी तथा शिक्षा से कोसों दुर थे । तो बेचारी अनुसूचित जाति की महिलाओं की स्थिति कैसी होगी इसका अन्दाजा लगाया जा सकता है।

अनुसूचित जातियों की महिलाओं में शिक्षा का अलख जगाने वालों की फेहरिस्त में 'मिशनरी स्कूलों' की भूमिका अग्रगण्य रही । 1818 में रेमरेण्ड स्कूल की स्थापना की गई । 1851 में प्रोटेस्टेंट मिशनरियाँ द्वारा

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9, Issue 3, March - 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

371 बालिका विद्यालय स्थपित किया गया जिसमें 86 विद्यालय आवासीय थे । इसी क्रम में मिशनरियों ने बिहार में भी कई स्कूलों की स्थापना की जिसमें भागलपुर स्थापित एक बालिका विद्यालय भी शामिल था । जिसमें 30 लड़कियों ने नामांकन लिया था । यह विद्यालय मुख्यतः सैनिकों की बेटियों की शिक्षा के लिए स्थापित किया गया था ।

मिशनरियों ने ही कम्पनी का ध्यान सामान्य लोगों के अशिक्षा की ओर दिलाया तथा गरीबों एवं किसानों के लिए प्राथमिक स्कूल खोलने पर बल दिया । परिणामस्वरूप कम्पनी के कुछ अधिकारियों ने यूरोपीय ढ़ंग से देशी भाषा के स्कूल स्थापित करने में अभिरूचि दिखाई ।

1854 में कम्पनी ने शिक्षा नीति में सुधार लाया एवं दलितों के प्रति मनोवृत्ति को उदार बनाया । जिसके तहत 'लोक अनुदेश विभाग' का गठन तथा सहायक अनुदान व्यवस्था को लागू कर दलितों में शिक्षा विस्तार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया । इसके बाद दलितों के शिक्षा के इतिहास में 'हण्टर कमीशन' का नाम महत्वपूर्ण है जिसके तहत महिलाओं (दलित महिआलों समेह) की शिक्षा पर विशेष जोड़ दिया गया । भारत के विभिन्न राज्यों में दलितों के शैक्षणिक एवं रोजगार संबंधी व्यवस्था के लिए नीति बनाई एवं धन का भी आवंटन किया । इसके बाद आगे निरन्तर रूप से दलितों व महिलाओं को शिक्षित करने का प्रयास जारी रहा।

दलित महिलाओं की शैक्षणिक एवं आर्थिक विषमता :–

उपरोक्त प्रयासों के आकलन 1917–18 और 1921–22 के आंकड़ों के आधार पर कर सकते हैं । वर्ष 1917–18 एवं 1921–22 से सामान्य जनसंख्या एवं दलितों के बीच से छात्रों का नामांकन कॉलेज शिक्षा स्तर में कुल जनसंख्या 62252 था जिसमें सामान्य वर्ग की संख्या 6142 वही दलित पुरुष की संख्या 172 थी और दलित महिला की संख्या ज्ञात नहीं थी । उच्च विद्यालय स्तर पर कुल जनसंख्या 29256 थी, जिसमें सामान्य वर्ग की संख्या 224889 तथा दलित पुरुष की जनसंख्या 2779 तथा इसमें दलित महिला की संख्या मात्र 5 थी । माध्यमिक विद्यालय स्तर पर कुल जनसंख्या 402399 जिसमें सामान्य की संख्या 382306, दलित पुरुष 6887 तथा दलित महिला 243 थी । अपर प्राईमरी स्तर में कुल जनसंख्या 602945 तथा इसमें दलित पुरुष 16674 तथा दलित महिला की संख्या 962 थी । लोअर प्राईमरी स्तर कुल जनसंख्या 5897243 जिसमें सामान्य जनसंख्या 4788702 जिसमें दलित पुरुष 351896 तथा दलित महिला 51261 था।

वही 1921–22 के दौरान नामांकन की स्थिति पर गौर करते हैं तो कॉलेज अवधि में कुल जनसंख्या 58836 वही दलित पुरुष जनसंख्या 322, दलित महिला केवल 2 थी । उच्च विद्यालय स्तर, कुल सामान्य की संख्या 218606 थी, वहीं दलित पुरुष 2892 और दलित महिला 40 थी । माध्यमिक विद्यालय स्तर में 434811 जिसमें दलित पुरुष की संख्या 7082 तथा दलित महिला 454 थी । अपर प्राईमरी स्तर में सामान्य की कुल जनसंख्या 546466 थी, जिसमें दलित पुरुष 16479 तथा दलित महिला 1206 थी । लोअर प्राईमरी स्तर में कुल सामान्य जनसंख्या 7350681 थी, जिसमें दलित पुरुष 429981 तथा दलित महिला 64567 थी ।

प्रस्तुत सांख्यिकीय आंकड़ा दलितों के शैक्षणिक स्थिति को उजागर करता है । पहला, दलित देश में शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं । यदि ऐसा नहीं होता तो शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर उनका नामांकन उनके जनसंख्या के अनुपात के बराबर होता । दूसरा, पुरुषों में शैक्षणिक प्रगति महिलाओं की अपेक्षा अधिक था । वास्तव में देश में महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति पिछड़ी हुई है और दलित महिलाओं में तो स्थिति और ज्यादा पिछड़ी है । तीसरा ज्यादातर दलित छात्र लोअर प्राईमरी स्तर से अपना शिक्षा जारी नहीं रखते थे । यही कारण था कि मध्य तथा उच्च विद्यालयों तथा कॉलेजों में उनकी उपस्थिति बहुत निम्न थी । दलित बच्चे ज्यादातर सामान्य विद्यालय में पढ़ते थे न कि विशिष्ट विद्यालयों में । हाँलाकि धीरे–धी शिक्षा के हर स्तर पर इनके नामांकन का प्रतिशत इस काल में बढ़ता ही गया । ऐसी स्थिति राष्ट्रीय स्तर पर थी तो बिहार के बारे में स्वतः ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है ।

दलित महिलाओं को शैक्षिक रूप से सशक्त करने में ज्योतिबा फूले, भीमराव अम्बेडकर तथा आगे

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9, Issue 3, March - 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

महात्मा गाँधी ने राष्ट्रीय स्तर पर समाज को, सरकार को तथा लोगों को आंदालित करने का प्रयास किया । इसका प्रभाव परिणाम बिहार क्षेत्र पर पड़ना स्वभाविक था । इसी क्रम में बिहार में महिला शिक्षा और खासकर दलित वर्ग के महिलाओं व लड़कियों को शिक्षित करने में जगजीवन राम, सच्चिदानंद सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिन्हा, अली इमाम, मौलाना मजहरूल हक, राजेन्द्र प्रसाद, गणेश दत्त, जयप्रकाश नारायण, जगजीवन राम आदि महान व्यक्तित्व उभरकर आये । कुछ प्रत्यक्ष रूपसे तो कुछ अप्रत्यक्ष रूप में इसमें भागीदारी का निर्वहन किया ।

बिहार प्रांत में सरकारी स्तर पर विशेष प्रकार का प्रयास 1937 में श्री कृष्णा सिंह के नेतृत्व में गठित मंत्रीमंडलीय सरकार ने किया । इसमें दलितों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास किया । इसने पहले ही बजट में दलितों के शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं सहकारिता के लिए 7.50 लाख रूपये आवंटित किया । सरकार द्वारा दलितों में शिक्षा प्रसार हेतु उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, छात्रावास, नामांकन में आरक्षण एवं छात्रवृत्तियाँ आदि देने का कार्य किया । इन्हें कृषि प्रशिक्षण के लिए कृषि महाविद्यालयों में दलित छात्रों को प्राथमिकता दी गई । सरकार ने मधुमक्खी पालन, लाह उद्योग के माध्यम से भी दलितों के उत्थान का प्रयास किया । जिसमें बिहार दलित महिलाओं के शिक्षित करने तथा उन्हें आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास सन्निहित था । तथा यहीं से सरकारी स्तर पर दलित महिलाओं के लिए सकारात्मकता का भाव प्रकट होने लगा था । चूँकि बिहार की सरकार अल्पकालिक साबित हुई जिससे ये समस्त प्रयास आगे नहीं बढ़ पाया ।

1947 में देश अनेक ऊतार–चढ़ाव को पार करते हुए आजाद हुआ । देश के वैसे सभी नागरिकों ने सपनों का उड़ान शुरू होने का मंशा बनाया, लेकिन दलितों और विशेष कर दबी–कुचली, विवशता में सिसकियाँ भरती महिलाओं के लिए अनेक आशा जगी । स्वतंत्र भारत के संविधान में सभी लोगों को असमानता, भेदभाव, छुआछुत को समाप्त कर सभी को समान माना तथा इसमें निम्न तबके के लिए आरक्षण का प्रावधान किया । केन्द्र स्तर पर और राज्य स्तर पर कल्यणकारी सरकार की स्थापना हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य 'कल्याण' ही था । जिसके केन्द्र बिन्दु में दलित महिला और उसकी स्थिति भी थी । इसलिए जमींदारी उन्मूलन के साथ–साथ अस्पृश्यता निवारण अधिनियम भी पारित किया । जिसका दंश दलित महिलाएँ भयावह रूप झेलती थीं । लेकिन इन सबको व्यवहारिक रूप में लागू कर तब नहीं किय जाता जबतक शिक्षा का समुचित विकास नहीं होता, इसलिए अनेक शैक्षणिक कार्यक्रम संचालित किये गये । जैसे–ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना (1987), (देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में चरणबद्ध तरीके से आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से), जिला प्रारम्भिक शिक्षा कार्यक्रम–II 02 अक्टूबर, 1997 (85 केन्द्र, 15 राज्य भार स्कीम । शिक्षा गारन्टी योजना (2001–02) 17 जिलों में प्रारम्भ, 2002–03 से पूरे बिहार में लागू, कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना 2003–04 में तथा अन्य योजनाएँ जैसे आवासीय विद्यालय योजना, मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना, मैट्रिक बाद छात्रवृत्ति योजनाओं के विद्यार्थियों के लिए कल्याण छात्रावास योजना, शिक्षण संस्थाओं में स्थान का आरक्षण, कोचिंग इन्स्टीच्यूट्स, रात्रि पाठशाला और प्रौढ़ शिक्षा–शिक्षण कार्यक्रम आदि की शुरूआत समय–समय पर की गई, जिसमें दलित बच्चे–बच्चियों के शिक्षा पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने को कहा गया, लेकिन इन सबसे भी कोई क्रांतिकारी परिवर्तन बिहार के दलित जातियों के महिलाओं व बच्चियों में नहीं देखा गया । हाँलाकि पहले से बेहतर उनकी शैक्षणिक स्थिति हो रही थी ।

शिक्षा का कोई भी स्तर हो सामान्य समुदाय के लड़कों–लड़कियों की संख्या से अनुसूचित जातियों के लड़के–लड़कियों की बहुत कम तो है ही अपने समुदाय के लड़कों से किसी स्तर पर दो गुणा और किसी स्तर पर तीन गुणा की कमी है । स्पष्ट है दलित जातियों की महिलाओं की स्थिति बिहार में 1993 तक अच्छी नहीं बन पाई । लेकिन पहले की तुलना में बेहतर हुआ है । शिक्षा का प्रसार हो रहा था लेकिन प्रथम से पंचम् वर्ग तक में 1981 की तुलना में 1993 छिजन भी अधिक रहा है । बाँकि सब में सकारात्मक विकास हुआ

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9, Issue 3, March - 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

।

इन सब परिणामों को देखने के बाद केन्द्र सरकार और विशेषकर बिहार सरकार ने खासकर नीतीश सरकार के 2005 में आने के बाद अनुसूचित जाति के महिलाओं व बच्चों में शिक्षा को व्यापक स्तर पर पहुँचाने के लिए कृत संकल्प है। इस सरकार का नारा ही है न्याय के साथ विकास को बढ़ावा देना । इसी परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के अनेक योजना जैसे–मिड–डे–मिल योजना, आई.सी.डी.एस. योजना महत्वपूर्ण है जो (केन्द्र सरकार की ओर से चलाई गई) वहीं बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री बालक/बालिका साईकिल योजना 2007–08 (साईकिल योजना बिहार में महिला सशक्तिकरण और समाजिक क्रांति का एक बड़ा कारण सिद्ध हुआ ।) वर्ष 2008–09 में शुरू मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री शताब्दी बालिका पोशाक योजना 2011–12 में आदि संचालित की गई है ।

निष्कर्ष :–

उपरोक्त विश्लेषणों के आधार पर कहा जा सकता है कि बिहार में अनुसूचित जाति की महिलाओं में शिक्षा का पूर्ण प्रसार नहीं हुआ है । यानि वे अब भी पूर्ण सशक्तिकरण से कोसों दूर खड़ी है । अतः आज भी व्यापक रूपसे अनुसूचित जाति की महिलाओं को शोषण किया जाता है। आज भी हर रोज अत्याचार सहती है । अखबार में प्रत्येक दो दिन पर या चाहे तो हरेक रोज किसी न किसी दलित जाति की महिला को पीटने अर्धनग्न करने, डायन बताकर प्रताड़ित करने, बलात्कार जैसी घटनाएँ सामने आती । इस सब निराशाजनक स्थितियों के बीच एक आशा की किरण यह दिखाई देती है कि अनुसूचित जाति की महिलाएँ अब पूर्णरूपेण मूक–बधिर बनकर सबकुछ नहीं सहती है बल्कि प्रतिरोध और प्रतिकार का स्वर तीव्र रूप से बुलन्द भी कर रही है और यह सब शिक्षा स्तर में सुधार के फलतः ही हुआ है । हाँ यह पर्याप्त नहीं जिस पर संतुष्ट हुआ जा सके । लेकिन उम्मीद की रौशनी जरूर है ।

सरकारी स्तर से चलाये जा रहे योजनाओं का अधिकाधिक लाभ अनुसूचित वर्ग के लोगों तक पहुँचे, इसके लिए केन्द्रीय योजनाओं तथा राज्य स्तर के योजनाओं में समनवय हो । योजनाओं के क्रियान्वयन में अनेक दोष है जिन्हें दूर किया जाना चाहिए । बिहार में कुछ ऐसे भी गाँव है जहाँ शिक्षा नगण्य है वैसे जगहों को अलग से चिन्हित कर शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए तभी इस समुदाय का समुचित विकास संभव है ।

संदर्भ सूचि :–

1. अनुसूचित जाति में महिला उत्पीड़न–मंजुलता, अर्जुन पब्लिकेशन 2010, पेज नं. 74
2. बिहार, इतिहास एवं संस्कृति, डॉ0 प्रमोदानन्द दास एवं डॉ. कुमार अमरेन्द्र 2018, पेज नं. 303–304
3. ए.एन. सिन्हा सामाजिक एवं आर्थिक शोध संस्थान पटना का रिपोर्ट, गरीबी उन्मूलन में जनप्रतिनिधियों की भूमिका, पेज नं. 24
4. संतोष कुमार बिहार का भूगोल, पेज नं. 176
5. बिहार में अनुसूचित जातियों की 1981 की जनगणना
6. स्पेशल टेबूल अनुसूचित जाति के लिए बिहार जनगणना 1981
7. बिहार में योजनाएँ एंव कार्यक्रम रजनीश कुमार, पेज नं. 138–139